

अध्याय-20

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया में
प्रयुक्त होने वाले नए प्रपत्रों की विवरणी

अमीन डायरी

अमीन का नाम , मौजा का नाम , थाना संख्या

दिनांक	किस्तवार			खानापुरी खेसरा का सत्यापन			सुनवाई			
	ग्राम-सीमा सत्यापन एवं किस्तवार कार्य	खेसरा की संख्या कुल	क्षेत्रफल	पुराने खातेदार का नाम एवं पूरा पता	खेसरा की कुल संख्या	क्षेत्रफल	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अमीन को जाँच एवं मापी हेतु वादों की संख्या एवं तिथि	जाँच प्रतिवेदन शिक्ति में वापस करने की तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

जाँच करने वाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

अमीन का हस्ताक्षर

प्रपत्र-1
(देखें नियम-4 का उप नियम-1)
उद्घोषणा का प्रपत्र

राजस्व ग्राम:-..... थाना नं०:-..... अंबला:-..... जिला:-.....

के सभी भू-धारियों/लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भू-खंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भू-खण्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भू-खण्डों की पैमाइश/जॉच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं, जैसा भी आवश्यक हो, को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा/अड़चन उत्पन्न न करें।

आपको यह भी निर्देशित दिया जाता है कि अपने भू-खण्डों की सीमाओं को भू-खण्डों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें।

तिथि:-

बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-2
(देखें नियम-6 उप नियम-(1))
रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व-घोषणा हेतु प्रपत्र
राजस्व ग्राम:-..... थाना नं०:-..... हल्का नं०:-..... जिला:-.....
पुलिस थाना:-..... अंचल:-.....

रैयत का नाम (सह-हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो, सहित) एवं पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्योरा					जमाबंदी सं०	भूमि पर दावा का आधार यथा-उत्तराधिकार/दान क्रय/बन्दोबस्त/अन्य	अभ्युक्ति अगर कोई हो।
		खता	खेसरा	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	किस जमीन			
1	2	3	4	6	7	8	10	11	

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्व-घोषणा में की गई प्रविष्टि सही/हमारी जानकारी में सही है। स्व-घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/हम जवाबदेह हूँ/हैं।
नोट:- इस प्रपत्र को दो भतियों में दायित्व किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पत्र०/कमी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा।

स्थान :

तिथि :

रैयत का हस्ताक्षर/आंगूठे का निशान
मोबाईल नं. एवं आधार सं.

प्रपत्र 3 (1)**वंशावली****अधिनियम की धारा 5 (1)**

सेवा में,

शिविर प्रभारी
अंचल.....
जिला.....

विषय:- स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं/हमलोग

- (i) श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
(ii) श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
(iii) श्री/श्रीमती..... श्री/श्रीमती.....
पुत्री (यों), पत्नी..... निवासी.....ग्राम.....
थाना.....अंचल:-..... जिला.....जाति.....
ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र ।। में अंकित है स्व.....
..... पिता:-..... ग्राम

जो राजस्व ग्राम:-..... अंचल:-.....के जमाबंदी क्रमांक संख्या.....
.....में प्रविष्ट थे, की...../खतियान में अंकित खाता
संख्या.....खेसरा संख्या.....रकबा.....
.....लगान.....को उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर हित अर्जित
किया है।

मैं/हमलोगों निम्न वंशावली/वंशवृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित
किया हूँ/हैं। वंशावली/वंशवृक्ष (मुल खतियान/पंजी-।। के अनुसार)
(नीचे वंश वृक्ष टेबल फार्म बनायें)

मैं/हमलोगों का उल्लेखित भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल-कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं
विवाद से मुक्त है। मैं/हमलोगों की वंशावली, खतियान/जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्नरूपेण है।
अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के
आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता
खोलकर सम्बन्धित खेसरा को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-याचिकार्ता/(ओ) का वंशवृक्ष

विश्वासभाजन

याचिकार्ता (ओं) का हस्ताक्षर

वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है:-

रैयत का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा				जमाबंदी संख्या
			खाता	खेसरा	रकबा ए०डी०	चौहद्दी	

मैं/हमलोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है। अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार/वंटवारा के आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अधिकार-अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को प्रविष्टि करनक की कृपा की जाए।

अनुलग्नक-

1. मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि/वर्ष
2. जमाबंदी संख्या की विवरणी/मालगुजारी रसीद सं./वर्ष
3. खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो तो)
4. दावाकृत भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजों की विवरण
5. अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति
6. आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र
7. आवेदनकर्ता/ओं के आधार कार्ड की छायाप्रति
8. आवेदनकर्ता/ओं के वोटर कार्ड की छायाप्रति

विश्वासभाजन

याचिकाकर्ता(ओं) का हस्ताक्षर
एवं पूरा पता

प्रपत्र-4
(देखें नियम-6 का उप नियम-(8))
गौर-सत्यापित / विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम:-.....थाना नं०:-.....हल्का नं०:-.....

अंचल:-.....जिला:-.....

रैयत का नाम	रैयत द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा-पत्र का क्रम संख्या	भूमि का ब्यौरा				भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी सं० (अगर हो तो)	सत्यापन नहीं किए जाने का संक्षिप्त कारण	अभ्युक्ति
		खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा ए० डी०	चौहद्दी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अमीन का हस्ताक्षर कानूनगो का हस्ताक्षर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-8
(देखें नियम-4 उप नियम-9)
दावों/आक्षेपों का प्रपत्र

1. दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
3. विवादित भूमि का ब्यौरा:-
राजस्व ग्राम:-..... थाना नं०:-..... खाता:-.....
खेसरा:-..... रकबा:-.....
4. दावा/आक्षेप का सार:-
5. अपेक्षित राहत:-

दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....

प्रपत्र-9
(देखें नियम-9 उप नियम-9)
दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र

क्रम संख्या..... तिथि..... दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम :-.....

प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर

प्रपत्र-9
(देखें नियम-9 उप नियम-9)
दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र

क्रम संख्या..... तिथि..... दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम :-

प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर

प्रपत्र-11
(देखें नियम-10 का उप नियम-(1)
सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम.....
 डाकघर.....थाना..... अंचल..... जिला.....को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक.....
को दायर दावों/आक्षेपों, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, की सुनवाई दिनांक.....को पूर्वाहन/अपराहन (स्थान).....
 पर नियत की गयी है।

वाद संख्या एवं दाखिल करने की तिथि	दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम के साथ-साथ पिता/पति का नाम एवं पता	भूमि का ब्यौरा						दावों/आपत्तियों का सार
		राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	

आपको निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपने दावों/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य, अगर कोई हो, सहित स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों।
 अगर आप सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो वाद का उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-12
(देखें नियम-11 उप नियम-(1))
प्रारूप खानापूरी अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र

राजस्व ग्राम.....थाना संख्या..... पुलिस थाना.....
 अंचल.....जिला.....
 राजस्व ग्राम..... राजस्व थाना संख्या..... के सभी भू-स्वामियों / धारियों अथवा किसी भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम..... राजस्व थाना संख्या..... की भूमि से सम्बन्धित अधिकार-अभिलेख प्रारूप को एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

खतियान का क्रम संख्या	खाता संख्या	रैयत का नाम (एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित हिस्से के मामले में हिस्सा के अनुसार रैयत का नाम), पिता/पति का नाम, जाति एवं निवास	खेसरा नं०	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण	फसल के अधीन खेती योग्य भूमि				खेती हेतु अयोग्य भूमि	सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार सहित)
							भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अधिकार-अभिलेख प्रारूप (दिनांक)..... तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भूमि अथवा उस भूमि जिसमें आपका कोई अस्तित्वयुक्त हित है, के संबंध में अधिकार-अभिलेख प्रारूप का परिशीलन किया जाय।

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी
 का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-14
(देखें नियम-13 उप नियम-4)
दावों / आक्षेप दायर करने का प्रपत्र

1. दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
3. विवादित भूमि का ब्यौरा:-
राजस्व ग्राम:-..... थाना नं०:-..... खाता:-.....
खेसरा:-..... रकबा:-.....
4. दावा/आक्षेप का सार:-
5. अपेक्षित राहत:-

दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....

प्रपत्र-14
(देखें नियम-13 उप नियम-4))
दावों/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र

1. दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
3. विवादित भूमि का ब्यौरा:-
राजस्व ग्राम:-..... थाना नं०:-..... खाता:-.....
खेसरा:-..... रकबा:-.....
4. दावा/आक्षेप का सार:-
5. अपेक्षित राहत:-

दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....

प्रपत्र-16
(देखें नियम-13 उप नियम-(5))

दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र
क्रम संख्या..... तिथि..... दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम.....

प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर

प्रपत्र-17

(देखें नियम-13 उप नियम-(7))

अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम.....
 डाकघर.....थाना..... अंचल..... जिला.....को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि दिनांक.....
 को दायर दावों/आक्षेपों, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, से सम्बन्धित सुनवाई दिनांक.....को
 पूर्वाह्न/अपराह्न (स्थान)..... पर नियत की गयी है।

वाद संख्या	दायर करने की तिथि	संबन्धित पक्ष	भूमि का ब्यौरा					दावों/आक्षेपों का सार
			राजस्व ग्राम	थाना नं०	खाला नं०	खेसरा नं०	रकबा ए० डी०	
1	2	3	4	5	6	7	8	

आपको निदेश दिया जाता है कि अपने दावा/आक्षेप के सम्बन्ध में सम्बन्ध के साथ आप स्वयं अधवा अपने प्राधिकृत के द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हो अन्यथा बाद को, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा किया जा सकता।

शिविर के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-18
(देखें नियम-14 उप नियम-(4))
नया तेरीज नया अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र

राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना संख्या..... अंचल.....जिला.....

क्र० सं०	पुराना खाता संख्या	नया खाता संख्या	पुराने रैयत का नाम	नये रैयत का नाम	नया खेसरा संख्या	रकबा				सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति दखल सहित
						कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-18(क)

लगान बन्दोबस्ती दर तालिका

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली संशोधन, 2018 के नियम-14 का उप नियम-5 (क)(i) देखें

सौजा:-.....थाना सं०:-.....अंचल:-.....जिला:-.....

लगान दर

(क) वासगीत की भूमि- 1.00 रुपये प्रति डीसमिल।

(ख) कृषि योग्य भूमि- 0.75 रुपये प्रति डीसमिल।

(ग) भीठ भूमि- 0.80 रुपये प्रति डीसमिल।
डीसमिल।

(घ) विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि-
1 रुपये प्रति एकड़।

(च) शाहरी क्षेत्र की भूमि- 5.00 रुपये प्रति डीसमिल।

(छ) व्यावसायिक भूमि- बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में।

क्रमांक	रैयत/अभिधारी का नाम/	खेसरा नं०	वासगीत/कृषि योग्य/भीठ भूमि/दियारा/सरकारी/शाहरी क्षेत्र/व्यावसायिक	भूमि की प्रकृति	रकबा	दर	कुल लगान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अमीन/विशेष सर्वेक्षण अमीन का हस्ताक्षर

स०ब०प०/विशेष सर्वेक्षण स०ब०प० का हस्ताक्षर

बन्दोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-19
(देखें नियम-14 का उप नियम-(4))
नये खेसरा पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना संख्या.....अंचल.....जिला.....

क्र० सं०	पुराना खेसरा नं०	पुराना खाता संख्या	नया खाता संख्या	पुराना रकबा ए० डी०	नया रकबा ए० डी०	पुराना चौकदी वैकल्पिक	नया चौकदी	पुराना रैयत का नाम	नया रैयत का नाम	फसल के अधीन रकबा					सेस को छोड़कर लगान	दखल सहित अम्युक्ति
										मदई अग्रहनी रकबी	अन्य फसल योग्य	कृषि हेतु आयोज्य	कृषि हेतु आयोज्य	अन्य फसल योग्य		
1	2	3	4	5	6	7	7			8	9	10	11	13	14	

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

अमीन का हस्ताक्षर

प्रपत्र-20
(देखें नियम-15 उप नियम-(1))
अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र

राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना संख्या.....के सभी भू-स्वामियों/धारियों अथवा किसी भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना संख्या.....की भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, के संबंध में अधिकार-अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है।
राजस्व ग्राम..... राजस्व थाना संख्या..... पुलिस थाना..... अंचल..... जिला..

अभिलेख का क्रम संख्या	खाता संख्या	रेयत का नाम (एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित करने के मामले में हिस्सानुसार रेयतों का नाम), पिता का नाम, जाति एवं आवास	खेसरा नं०	रकबा ए० डी०	चौकड़ी	भूमि का वर्गीकरण	फल के अधीन खेती योग्य भूमि			ससेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार) सहित		
							मदई	अगाहनी	रब्बी अन्य				
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अंतिम अधिकार अभिलेख (दिनांक)..... तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान अंतिम अधिकार अभिलेख का परिशीलन कर लिया जाय।
दिनांक:-

जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मुहर

प्रपत्र-21

(देखें नियम-15 का उप नियम-(3))

अधिकार-अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान/प्रकाशन के उपरान्त दावा/आक्षेप दायर करने हेतु प्रपत्र

1. दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-

2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-

3. विवादित भूमि का ब्यौरा:-

राजस्व ग्राम:- थाना नं०:- खेसरा:- रकबा:-

4. दावा/आक्षेप का सार:-

5. अपेक्षित राहत:-

दिनांक:-

दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....

प्रपत्र-22

(देखे नियम-15 उप नियम-(4)

अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम.....
 डाकघर.....थाना.....जिला.....को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि दिनांक..... को
 दायर दावों/आपत्ति, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की सुनवाई दिनांक.....पूर्वाहन/अपराहनबजे.....
(स्थान)..... पर नियत की गयी है।

वाद संख्या	दायर करने की तिथि	संबन्धित पक्ष	भूमि का ब्यौरा						दावों/आक्षेपों का सार
			राजस्व ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आपको निदेश दिया जाता है कि नियत तिथि, समय एवं स्थान पर दावा/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि में माध्यम से उपस्थित हों, अन्यथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वाद का एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

नियम-15(2) के अधीन दावों/आक्षेपों के निपटारा हेतु
 अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर